भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1493
उत्तर देने की तारीख-09/02/2026

आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना का कार्यान्वयन

†1493. **श्री जी. लक्ष्मीनारायण:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के प्रारंभ से लेकर अब तक विभिन्न राज्यों में शिक्षा ऋण और ब्याज सहायता का लाभ प्राप्त करने वाले छात्रों की वर्ष-वार और राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है और इस संबंध में अनंतपुर सहित आंध्र प्रदेश राज्य का जिला-वार, श्रेणी-वार और लिंग-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) वर्तमान और विगत वित्तीय वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत संस्वीकृत, जारी की गई और उपयोग की गई निधि का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है और अनंतपुर सहित आन्ध्र प्रदेश का जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार विगत पांच वर्षों के दौरान एनपीए के रूप में वर्गीकृत सरकारी क्षेत्र के बैंकों के शिक्षा ऋणों का केन्द्रीकृत रिकार्ड रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर आंध्र प्रदेश राज्य सहित राज्य-वार कितनी शिकायतें दर्ज की गई हैं, समाधान की गई हैं और कितनी शिकायतें लंबित हैं और इनके लंबित रहने के क्या कारण हैं; और
(ङ) क्या बैंक विद्यालक्ष्मी पोर्टल पर निर्धारित प्रक्रिया की समय-सीमा को पूरा कर रहे हैं, और यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ङ): शिक्षा समवर्ती सूची में है और इसमें संशोधन के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों सहयोग से कार्य करती हैं। भारत सरकार ने नवंबर 2024 में पीएम-विद्यालक्ष्मी नामक केंद्र प्रायोजित योजना आरंभ किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी छात्र वित्तीय समस्याओं के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रहे। इस स्कीम के तहत, उन सभी विद्यार्थियों को संपाशर्षिक मुक्त और गारंटर मुक्त के शिक्षा ऋण दिया जाता है, जिन्हें उच्च गुणवत्ता वाले उच्चतर शिक्षा संस्थान

(क्यूएचईआईएस) में मेरिट के आधार पर प्रवेश मिलता है और जो शिक्षा ऋण लेना चाहते हैं, और जिसकी अधिकतम सीमा नहीं है। इसके अलावा, जिन विद्यार्थियों की वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये तक है, उनके लिए यह योजना 10 लाख रुपये तक के ऋण पर 3% ब्याज अनुदान देती है। एक लाख तक नए विद्यार्थी जिन्हें कोई दूसरी छात्रवृत्ति या शिक्षा ऋण पर ब्याज अनुदान नहीं मिल रहा है, उन्हें यह ब्याज अनुदान मिलेगा। वर्ष 2024-25 से 2030-31 तक की अवधि के दौरान 7 लाख तक नए विद्यार्थियों को 3% ब्याज अनुदान का लाभ देने के लिए 3,600 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। एक समर्पित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल https://pmvidyalaxmi.co.in बनाया गया है, जिस पर विद्यार्थी सभी बैंकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक सहज आवेदन प्रक्रिया के ज़रिए शिक्षा ऋण के साथ-साथ ब्याज अनुदान के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। यह पोर्टल दिनांक 25 फरवरी 2025 से कार्य करना शुरू कर दिया गया है।

दिनांक 25 फरवरी, 2025 को पोर्टल लॉन्च होने के बाद से राज्य-वार जानकारी, साथ ही आंध्र प्रदेश राज्य के लिए जिले-वार, कैटेगरी-वार और लिंग-वार विवरण, जिसमें शिक्षा ऋण लेने वाले छात्रों की संख्या, पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत स्वीकृत और वितरित शिक्षा ऋण राशि से संबंधित जानकारी अनुलग्नक-I के रूप में https://www.education.gov.in/en/parl_ques पर उपलब्ध है।

वित्तीय सेवा विभाग (डीएफ़एस) के माध्यम भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त पिछले पांच वर्षों के दौरान एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए गए सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के शिक्षा ऋण से संबंधित बैंक-वार और वर्ष-वार सूचना, अनुलग्नक-II के https://www.education.gov.in/en/parl_ques पर उपलब्ध है।

आंध्र प्रदेश राज्य सहित, पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल पर दर्ज, समाधान किए गए और लंबित शिकायतों की राज्य-वार जानकारी, अनुलग्नक-III के रूप में https://www.education.gov.in/en/parl_ques पर उपलब्ध है।

उच्चतर शिक्षा विभाग (डीएचई) ने भारतीय बैंक संघ (आईबीए) से कहा था कि यह था कि वह बैंको को 10 दिनों के भीतर पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों को निपटान सुनिश्चित करें और निर्देश दें।

उच्चतर शिक्षा विभाग (डीएचई) और वित्तीय सेवा विभाग (डीएफ़एस) भारतीय बैंक संघ (आईबीए) और बैंकों के साथ मिलकर नियमित आधार पर शिक्षा ऋण, प्रसंस्करण और संवितरण की प्रगति की निगरानी करते हैं। इसके अलावा, डीएचई, डीएफ़एस के साथ मिलकर नियमित अंतराल पर योजना को सहजता से लागू करने के लिए क्यूएचईआई, बैंकों और आईबीए के साथ बैठकें अठोपित करता है। क्यूएचईआई के विद्यार्थी के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए डीएफ़एस, आईबीए और बैंकों के सहयोग से क्यूएचईआई के साथ मिलकर कार्यशाला भी आयोजित की जाती हैं।

*****

अनुलग्नक-I

“आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना का कार्यान्वयन” के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री जी. लक्ष्मीनारायण द्वारा दिनांक 09.02.2026 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं 1493 के भाग (क) से (ङ) में उल्लिखित अनुलग्नक

दिनांक 25.02.2025 से 31.01.2026 तक पीएम विद्यालक्ष्मी योजना का राज्य-वार डेटा

क्र.सं.	छात्रों राज्य	स्वीकृत आवेदनों की संख्या	कुल स्वीकृत राशि (करोड़ में) रुपए में	संवितरित आवेदनों की संख्या	सं00वितरित कुल राशि (करोड़ में) रुपए में
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	33	6.01	26	1.03
2	आंध्र प्रदेश	5059	579.76	4405	102.93
3	अरुणाचल प्रदेश	16	2.94	13	0.31
4	असम	789	79.96	679	14.86
5	बिहार	3397	397.78	2968	66.45
6	चंडीगढ़	134	21.63	113	3.48
7	छतीसगढ	560	83.05	480	14.26
8	दिल्ली	3144	455.32	2860	81.6
9	गोवा	130	18.63	115	4.1
10	गुजरात	1329	227.98	1208	40.19
11	हरियाणा	2259	349.79	2031	57.05
12	हिमाचल प्रदेश	517	48.32	452	7.75
13	जम्मू और कश्मीर	259	27	226	5.2
14	झारखंड	2065	274.36	1753	44.36
15	कर्नाटक	3077	351.44	2725	78.7
16	केरल	2920	328.4	2397	60.52
17	लद्दाख	4	0.62	4	0.12
18	लक्षद्वीप	1	0.04	0	0
19	मध्य प्रदेश	2559	371.57	2330	66.18
20	महाराष्ट्र	5193	798.1	4662	148.86
21	मणिपुर	50	5.07	44	0.88
22	मेघालय	83	8.88	74	1.52
23	मिजोरम	16	2.44	13	0.32

क्र.सं.	छात्रों राज्य	स्वीकृत आवेदनों की संख्या	कुल स्वीकृत राशि (करोड़ में) रुपए में	संवितरित आवेदनों की संख्या	सं00वितरित कुल राशि (करोड़ में) रुपए में
24	नागालैंड	29	3.18	25	0.62
25	ओडिशा	2153	251.87	1852	45.34
26	पुदुचेरी	100	10.62	89	2.4
27	पंजाब	1193	175.75	1051	27.6
28	राजस्थान	2769	394.94	2462	62.6
29	सिक्किम	12	2.09	9	0.82
30	तमिलनाडु	5234	523.86	4316	115.08
31	तेलंगाना	2137	306.43	1920	48.86
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	26	3	26	0.54
33	त्रिपुरा	105	9.09	83	1.7
34	उत्तर प्रदेश	7505	909.22	6700	161.79
35	उत्तराखंड	1021	121.9	925	21.65
36	पश्चिम बंगाल	2000	321.77	1769	56.27
	कुल	**57878**	**7472.81**	**50805**	**1345.94**

आंध्र प्रदेश में 25.02.2025 से 31.01.2026 तक पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत जिले-वार प्राप्त ऋण

क्र.सं.	विद्यार्थी जिला	मंजूर किए गए आवेदनों की संख्या	कुल स्वीकृत निधियां (रुपए करोड़ में)	संवितरित आवेदनों की संख्या	संवितरित कुल निधियां (रुपए करोड़ में)
1	अल्लूरी सीताराम राजू	356	41.59	315	7.27
2	अनकपल्ली	43	3.64	36	0.59
3	अनंतपुर	193	22.84	176	4.28
4	अन्नामय्या	60	5.53	53	1.03
5	बापटला	33	2.87	29	0.5
6	चित्तूर	276	33.89	249	8.15
7	डॉ. बी.आर. अंबेडकर कोनासीमा	35	3.51	27	0.49
8	ईस्ट गोदावरी	477	56.94	412	9.15
9	एलुरु	45	4.55	41	0.78
10	गुंटूर	538	55.03	436	9.16
11	काकीनाडा	85	10.36	70	1.67
12	कृष्ण	380	40.73	312	6.71
13	कुरनूल	216	24.98	183	4.72
14	नांदयाल	48	5.21	39	0.77
15	एनटीआर	87	9.37	73	1.75
16	पालनाडु	45	5.24	38	0.9
17	पार्वतीपुरम मान्यम	23	2.68	21	0.58
18	प्रकाशम	212	25.32	186	3.84
19	एसपीएसआर नेल्लोर	135	12.92	120	2.52
20	श्री सत्य साई	95	9.79	78	2.01
21	श्रीकाकुलम	255	30.3	229	5.22
22	तिरुपति	113	12.43	102	2.75
23	विशाखापत्तनम	602	82.53	541	14.16
24	विजयनगरम	236	28.71	210	4.45
25	पश्चिम गोदावरी	313	32.01	282	5.85
26	वाई.एस.आर.	158	16.79	147	3.63
	कुल	**5059**	**579.76**	**4405**	**102.93**

आंध्र प्रदेश में 25.02.2025 से 31.01.2026 तक पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत मिले श्रेणी-वार ऋण

क्र. सं.	विद्यार्थी श्रेणी	मंजूर किए गए आवेदनों की संख्या	कुल संस्वीकृत निधियां (रुपए करोड़ में)	संवितरित आवेदनों की संख्या	संवितरित कुल निधियां (रुपए करोड़ में)
1	ईडब्ल्यूएस	856	94.61	744	15.3
2	सामान्य	1461	186.82	1264	37.2
3	एनसीओबीसी	636	87.19	577	13.84
4	ओबीसी	1493	144.36	1282	25.5
5	एससी	477	49.41	411	8.24
6	एसटी	136	17.37	127	2.85
	कुल	**5059**	**579.76**	**4405**	**102.93**

आंध्र प्रदेश में 25.02.2025 से 31.01.2026 तक पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत जेंडर-वार मिले ऋण

क्र. सं.	विद्यार्थी जेंडर	मंजूर किए गए आवेदनों की संख्या	कुल स्वीकृत निधियां (रुपए करोड़ में)	संवितरित आवेदनों की संख्या	संवितरित कुल निधियां (रुपए करोड़ में)
1	महिला	1459	172.06	1256	30.43
2	पुरुष	3600	407.7	3149	72.5
	कुल	**5059**	**579.76**	**4405**	**102.93**

अनुलग्नक-II

पिछले पांच वर्षों के दौरान एनपीए के रूप में वर्गीकृत सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के शिक्षा ऋण से संबंधित बैंक-वार और वर्ष-वार जानकारी

क्र. सं.	बैंकों के नाम	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1	बैंक ऑफ बड़ौदा	142	216	63	98	121
2	बैंक ऑफ इंडिया	309	297	291	273	233
3	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	56	23	17	9	3
4	केनरा बैंक	240	288	843	789	322
5	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	591	574	358	124	129
6	इंडियन बैंक	991	1,206	919	579	277
7	इंडियन ओवरसीज बैंक	724	519	944	343	123
8	पंजाब एंड सिंध बैंक	18	15	13	12	5
9	पंजाब नेशनल बैंक	968	941	893	733	431
10	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	728	544	372	382	336
11	यूको बैंक	89	111	97	28	21
12	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	503	564	637	644	336
	कुल	**5359**	**5298**	**5447**	**4014**	**2337**

अनुलग्नक-III

25.02.2025 से 31.01.2026 तक पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल पर मिली शिकायतों का राज्य-वार डेटा

क्र. सं.	राज्यों	प्राप्त हुआ	समाधान किया गया	लंबित
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	15	15	0
2	आंध्र प्रदेश	1033	974	59
3	अरुणाचल प्रदेश	15	15	0
4	असम	287	277	10
5	बिहार	1767	1665	102
6	चंडीगढ़	24	19	5
7	छत्तीसगढ	189	176	13
8	दिल्ली	1025	955	70
9	गोवा	59	58	1
10	गुजरात	555	486	69
11	हरियाणा	825	780	45
12	हिमाचल प्रदेश	100	97	3
13	जम्मू और कश्मीर	176	173	3
14	झारखंड	700	657	43
15	कर्नाटक	2196	2061	135
16	केरल	966	897	69
17	लद्दाख	4	4	0
18	मध्य प्रदेश	1131	1075	56
19	महाराष्ट्र	2533	2348	185
20	मणिपुर	30	28	2
21	मेघालय	28	27	1
22	मिजोरम	2	2	0
23	नागालैंड	35	31	4
24	ओडिशा	549	527	22
25	पुदुचेरी	28	26	2
26	पंजाब	299	283	16
27	राजस्थान	998	930	68
28	सिक्किम	9	9	0
29	तमिलनाडु	1954	1744	210
30	तेलंगाना	792	748	44
31	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	9	8	1
32	त्रिपुरा	48	46	2
33	उत्तर प्रदेश	3263	3054	209
34	उत्तराखंड	278	260	18
35	पश्चिम बंगाल	841	795	46
36	तकनीकी खराबी के कारण उपलब्ध नहीं है	2893	2893	0
	कुल	**25656**	**24143**	**1513**